

**जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।**

सी०सी०ए० केस सं०-०७/१६-१७

राज्य -बनाम- समीर सरदार

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
	<p>वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक:-686/डी०सी०बी०, दिनांक:-09/05/2016 द्वारा अपराधकर्मी समीर सरदार, पे०-स्व० टिल्लु सरदार, सा०-टिल्ला भट्टा सिद्धू-कान्हु बस्ती, थाना-सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3)(a) के अन्तर्गत जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। इस अपराधकर्मी पर वर्तमान में (1) सोनारी थाना काण्ड सं०-92/12, दिनांक:-02.09.12, धारा-147/149/341/323 भा०द०वि०, (2) सोनारी थाना काण्ड सं०-37/13, दिनांक:-27.03.2013, धारा-341/323/307/427/34 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 3/4 विस्फोटक पदार्थ एक्ट (3) सोनारी थाना काण्ड सं०-196/13, दिनांक:-03.12.2013, धारा-341/323/ 448/34 भा०द०वि०, (4) सोनारी थाना काण्ड सं०-11/14, दिनांक:-06.01.2014, धारा-307/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट, (5) सोनारी थाना काण्ड सं०-12/14, दिनांक:-08.01.2014, धारा-307/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट, (6) साकवी थाना काण्ड सं०-102/14, दिनांक:-12.05.2014, धारा-224/353 भा०द०वि०, (7) सोनारी थाना काण्ड सं०-155/15, दिनांक:-13.09.2015, धारा-414/216/120बी/34 भा०द०वि० एवं (8) सोनारी थाना काण्ड सं०-226/15, दिनांक:-27.11.2015, धारा-399/400/402 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज है। आरोप पत्र समर्पित है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि अपराधकर्मी जमशेदपुर शहर एवं आस-पास के क्षेत्रों में अपने नाम का भय फैला रखा है तथा इन दिनों इनका आतंक पूरे क्षेत्र में व्याप्त है।</p> <p>वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि अपराधकर्मी समीर सरदार एक कुख्यात एवं पेशेवर अपराधकर्मी है। जिसके अपराधिक गतिविधि के कारण यहाँ की लोक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। इनके द्वारा अवैध पिस्तौल छुपाकर रखना तथा उसकी खरीद-बिक्री करना, अवैध आग्नेयास्त्र एवं कारतूस के साथ पकड़े जाना, बम प्रहार कर प्राण घातक हमला करना, रिवाल्वर सटाकर फायर करना मारपीट कर पैसा लेना जान माने की नियत से गोली मारकर जख्मी करना इनका पेशा बन गया है। इनके द्वारा आतंक फैलाने के लिए एक पृथक गुट का भी निर्माण किया गया है, जिसके सभी सदस्य हथियार से लैश रहते हैं तथा उन्हें इनके द्वारा पनाह एवं आर्थिक संरक्षण दिया जाता है। जिससे लोक व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। वर्तमान में जेल से बाहर है तथा अपराध जगत में सक्रिय है और येन केन प्रकारेण वर्चस्व स्थापित करने की दिशा में कार्यरत है। जब तक ये न्यायिक हिरासत (जेल) में रहें, तब तक इस तरह की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी आयी, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है।</p>	

उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत अपराधकर्मी से कारणपृच्छा मांगा गया।


समीर सरदार नोटिस प्राप्त करने के उपरांत न तो कभी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही कारणपृच्छा दायर किया जबकि इस हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया। स्पष्ट है कि इनके द्वारा कारित अपराध भा0द0सं0 के चैप्टर XVI एवं चैप्टर XVII की श्रेणी के हैं जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 2(d) के तहत इनके असामाजिक तत्व होने का द्योतक है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत अनेकों अपराध कार्य किये गये हैं एवं इनके कृत्य से लोक व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति के भंग होने की प्रबल संभावना है।

अतः वरीय आरक्षी अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित्त अपराधकर्मी समीर सरदार, पे0-स्व0 टिल्लु सरदार, सा0-टिल्ला भट्टा सिद्धू-कान्हु बस्ती, थाना-सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को इस जिले से निष्कासन करना आवश्यक है।


अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 3 (3)(a) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी समीर सरदार, पे0-स्व0 टिल्लु सरदार, सा0-टिल्ला भट्टा सिद्धू-कान्हु बस्ती, थाना-सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को दिनांक:-01.08.2016 से अगले छः माह अर्थात् दिनांक:-31.01.2017 तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा 7(1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0-25,000.00 का बंधपत्र (with two surities) दिनांक:-31.07.2016 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक:-01.08.2016 से अगले छः माह अर्थात् दिनांक:-31.01.2017 तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 (अंगीकृत) धारा-7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी समीर सरदार झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति समीर सरदार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा जाय।

(लेखापित)



जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।



जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

C
vide memo no.
1375(B)/L
25/07/16.